संख्या- 14 / 865 / चार-2015-15 (बजट)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2015

विषय:- भारत सरकार द्वारा सहायतित टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनानतर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या- 185/रा0क0सं0 /2013 दिनांक 27 जनवरी,2015 तथा शासनादेश संख्या- 1721/चार-2014-15 (बजट)/12 दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सहायतित टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स योजनानतर्गत राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1473.70 लाख के दृष्टिगत भारत सरकार के पत्र संख्या- 20-07(3)/2012-पी0ए0/यू0पी0, दिनांक 08.05.2014 द्वारा केन्द्राशं के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 90.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के मानक मद -0102-राष्ट्रीय कथक संस्थान , लखनऊ का भवन निर्माण (के0 60/रा0 40-के0 रा0) -24 वृहद निर्माण कार्य में सम्प्रति उपलब्ध धनराशि रू0 83.34 लाख (रूपया तिरासी लाख चौतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप सथानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स समक्ष स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रायोजना में प्रस्तावित बाट-आउट आइटम्स का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि , एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि , व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ के नियंत्रणाधीन यूनिट नं0-10 ए को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे। धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी। योजनान्तर्गत भारत सरकार की शर्तो /दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपरोक्त धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई,2014 तथा भारत सरकार के पत्र संख्या- 20-07 (3)/2012 पी0ए0/यू0पी0 दिनांक 31-03-2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्ड्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण(के0 60/रा0 40 -के0 रा0) -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- / 865 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ।
5- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in